विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-08/2022

श्री दीपक कॉसलीवाल, — आवेदक/अपीलार्थी
16, हैरिटेज, 582 महात्मा गांधी मार्ग,
इन्दौर (म0प्र0) — 452001

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (पूर्व), — अनावेदक/प्रति–अपीलार्थी
शहर संभाग, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड.,
इन्दौर (म.प्र.) — 452001

आदेश

(दिनांक 13.06.2022 को पारित)

01. आवेदक श्री दीपक कॉसलीवाल, 16, हैरिटेज, 582 महात्मा गांधी मार्ग, इन्दौर (म0प्र0) ने अपने लिखित अभ्यावेदन दिनांक 16.05.2022 से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र के प्रकरण क्रमांक W0319315 दिनांक 12.01.2016 का पालन न होने के कारण अपील अंतर्गत धारा 42(6) विद्युत अधिनियम 2003 प्रस्तुत की है जो दिनांक 25.05.2022 को इस कार्यालय में प्राप्त होकर प्रकरण क्रमांक 08/2022 पर दर्ज की गई है।

02. प्रकरण की पृष्ठभूमि :–

2.1 श्री दीपक कॉसलीवाल, दुकान क्रमांक — 16, हैरिटेज बिल्डिंग 582, महात्मा गांधी मार्ग, इन्दौर वैध धारक हैं । उक्त परिसर का विद्युत कनेक्शन वर्ष 2014 में विच्छेदित हो जाने के उपरांत भी लगातार बिलिंग कर आर.आर.सी के माध्यम से वसूली की कार्यवाही करने से पीड़ित होकर उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय इन्दौर बैंच के समक्ष रिट पिटीशन क्रमांक 7308/2015 दायर की थी, जिसमें आर.आर.सी. पर स्थगन देते हुए फोरम को प्रकरण में निर्णय जारी करने हेतु निर्देशित

किया था, जिस पर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम इन्दौर एवं उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक W0319315 दर्ज कर दिनांक 12.01.2016 को आदेश पारित किया जिसमें कनेक्शन को प्रथम विच्छेदन की दिनांक से 60 + 15 दिन पश्चात् स्थाई रूप से विच्छेदित मानकर अन्तिम बिल जारी करने हेतु निर्देशित किया था एवं यह भी निर्देशित किया था कि अन्तिम बिल की राशि भुगतान करने पर आवेदक को मांग करने पर नया कनेक्शन प्रदाय किया जावें ।

2.2 आवेदक ने कनेक्शन हेतु दिनांक 08.03.2022 को मनोरमागंज जोन कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया किन्तु अनावेदक ने हैरिटेज बिल्डिंग 582, महात्मा गांधी मार्ग, इन्दौर में स्थित अन्य कनेक्शनों पर बकाया राशि होने का कारण बताकर कनेक्शन देने से मना कर दिया था, जिससे दुखी होकर यह अपील आवेदक द्वारा प्रस्तुत की है जिसमें कनेक्शन दिलवाने के साथ ही साथ आर्थिक क्षति रू0 1,98,000/– दिलवाने के लिए भी अनुरोध किया है जिसमें से आर्थिक क्षति माननीय उच्च न्यायालय एवं विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम इन्दौर एवं उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत वाद पत्र का भाग नहीं है ।

2.3 प्रकरण में प्रस्तुत दुकान के दस्तावेजों से स्पष्ट है कि दुकान क्रमांक – 16, हैरिटेज बिल्डिंग 582, महात्मा गांधी मार्ग, इन्दौर श्री दीपक कुमार कॉसलीवाल पुत्र श्री अशोक कुमार कॉसलीवाल के नाम लीज पर है ।

2.4 आवेदक ने अपनी लिखित अपील में प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार प्रस्तुत किए हैं :–

(घोषणा पत्र – चरण क्र. 3 Form for representation before forum/electricity ombudsman*)

01. यह की उपरोक्त दुकान जो कि एक फर्नीचर शोरूम है जिसमें वर्ष 1995 से कार्य हो रहा था परन्तु वर्ष 2016 में विद्युत संचार कटवा दिया था जिसमें आपके इंदौर फोरम ने आपके मनोरमागंज जोन को निर्देश दिए थे कि मैं जब भी नवीन कनेक्शन मांगू तो मुझे दिया जाए जिसके आदेश की प्रति संलग्न है ।
02. यह की जनवरी फरवरी 2022 में हमने दुकान शोरूम वापस चालू करने का इरादा किया और इसलिए नवीन कनेक्शन का आवेदन दिया और हमें भरोसा था कि हमें तुरन्त नवीन कनेक्शन मिल जाएगा फरवरी में ही परन्तु आज दिनांक तक जमीन नहीं दिया गया है ।
03. यह कि मेरे पड़ोस की दुकान मेरे चचेरे भाई के परिवार श्री एस.के. सिंह एन्ड संस ने मोटेकार्लो को किराये पर दी है जिसका किराया वर्तमान में रू0 2,30,000/– (दो

लाख तीस हजार) जिसमें उन्होंने अपर ग्राउंड फ्लोर मेजेनाइन 2100 वर्ग फिट उनको दी है जिससे उनका किराया का दर रू0 2,30,000,00 / 2,100 = 109 वर्ग फिट हो जाता है ।

04. मेरी दुकान का क्षेत्रफल 612 वर्ग फिट ग्राउंड फ्लोर और मेजेनाइन मिलाकर जबकि मेरी दुकान कॉर्नर की होने से उसको दो तरफ डिस्प्ले मिलता है – एक एमजी रोड तरफ और एक हेरिटेज बिल्डिंग के लॉबी की तरफ ।

रू0 109 / – वर्ग फिट किराए से मेरी दुकान का किराया होना चाहिए 612x109 = रू. 66,000 / – के दर से होना चाहिए ।

16 फरवरी से 16 मई तक का किराया होना था रू. 3x66,000 = रू. 1,98,000 / –

चूंकि मुझे फरवरी में बिजली कनेक्शन नहीं मिला इसलिए मैंने तीन महीनों में लगभग रू0 1,98,000 / – का नुकसान किया है और अन्य जो मैंने दुकान बाबत किया मैं जोड़ नहीं रहा हूं ।

03. प्रकरण को क्रमांक एल.00–08 / 2022 पर दर्ज करने के बाद उभयपक्षों को लिखित नोटिस जारी करते हुए प्रथम सुनवाई दिनांक 02.06.2022 नियत की गई ।

❖ प्रथम सुनवाई दिनांक 02.06.2022 को आवेदक की ओर से आवेदक स्वयं श्री दीपक कॉसलीवाल तथा अनावेदक कम्पनी की ओर से श्री अंकुर गोयल, सहायक यंत्री, मनोरमागंज झोन, इन्दौर उपस्थित।

अनावेदक कम्पनी की ओर से उपस्थित श्री अंकुर गोयल, सहायक यंत्री द्वारा अधिकृत पत्र कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पूर्व शहर संभाग इन्दौर का पत्र क्रमांक 2140 / का.यं. / पूर्व / विधि इन्दौर दिनांक 01.06.2022 प्रस्तुत किया, जिसे रिकार्ड में लिया गया ।

सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा प्रकरण के संबंध में मौखिक कथन किए गए ।

अनावेदक द्वारा प्रकरण के संबंध में मौखिक जानकारी दी गई, साथ ही उक्त प्रकरण से संबंधित लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु कुछ अतिरिक्त समय की मांग की गई । अनावेदक को जिस परिसर में कनेक्शन की मांग की गई है एवं जिन पर बकाया राशि है, का पूर्ण विवरण प्रेषित करने हेतु कहा गया ।

अनावेदक को निम्न जानकारी के साथ आगामी सुनवाई दिनांक 10.06.2022 को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया :–

01. 582, महात्मा गांधी मार्ग इन्दौर परिसर का विस्तृत नक्शा जिसमें विभिन्न परिसरों को दर्शाया गया हो ।

02. बकाया राशियों का विवरण के साथ उसे भुगतान करने हेतु जवाबदेह व्यक्ति ।

03. परिसर जहां पर कनेक्शन की मांग की गई है ।

04. जिस परिसर पर कनेक्शन मांगा गया है उस पर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा कनेक्शन न देने हेतु रोक लगाई गई हो उसका विवरण ।

अनावेदक की मांग को स्वीकार करते हुए उभयपक्षों की आपसी सहमति से प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 10.06.2022 नियत की जाती है ।

❖ अगली सुनवाई दिनांक 10.06.2022 को आवेदक की ओर से आवेदक स्वयं श्री दीपक कॉसलीवाल उपस्थित तथा अनावेदक कम्पनी की ओर से श्री अंकुर गोयल, सहायक यंत्री, इन्दौर उपस्थित ।

अनावेदक कम्पनी की ओर से उपस्थित श्री अंकुर गोयल, सहायक यंत्री मनोरमागंज झोन द्वारा प्रत्युत्तर पत्र क्रमांक सहा. यंत्री/सामान्य/22–23/221 इन्दौर दिनांक 09.06.2022 प्रस्तुत किया, जिसे रिकार्ड में लिया गया । जो निम्नानुसार है :–

संदर्भित पत्र के माध्यम से प्राप्त प्रकरण के संबंध में विवरण निम्नानुसार है :–

01. उपरोक्त विषयांतर्गत प्रकरण क्रमांक W0319315 जो कि दीपक कॉसलीवाल द्वारा विच्छेदित कनेक्शन के विरूद्ध न्यूनतम प्रभार एवं नियत प्रभार की राशि नहीं लिए जाने बाबत् प्रकरण फोरम में लगाया गया था, जिसमें फोरम के निर्णय अनुसार तत्समय उपभोक्ता के बिल में राशि समायोजित कर दी गई थी एवं वर्तमान में उक्त बिल की राशि (–)2354 है जिससे स्पष्ट है कि फोरम के निर्देश का तत् समय ही पालन किया गया था । (फोरम के आदेश की प्रति संलग्न परिशिष्ट 1 से 6 में संलग्न है) ।

02. उपभोक्ता द्वारा नवीन कनेक्शन हेतु फरवरी 2022 में आवेदन किया गया था, परन्तु जिस परिसर पर उपभोक्ता द्वारा आवेदन किया गया जिसमें आवेदक द्वारा लीज डीड उपलब्ध करायी गई जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि परिसर क्रमांक 582 एम जी रोड का मालिकाना अशोक कुमार सिंग एवं सन्स एवं इनके अतिरिक्त 3 अन्य मालिकों का है एवं परिसर क्रमांक 582 एम जी रोड पर बकाया राशि के संबंध में आवेदक को मनोरमागंज कार्यालय के पत्र क्रमांक 1679 इंदौर दिनांक 13.03.22 के माध्यम से सूचित किया गया है, जिसका भुगतान न किए जाने के कारण उपभोक्ता को

नवीन संयोजन नहीं प्रदाय किया गया । (लीज डीड परिशिष्ट 7 से 15 एवं पत्र की परिशिष्ट 16 में संलग्न है ।)

03. दिनांक 03.06.22 को माननीय विद्युत लोकपाल महोदय द्वारा जिस स्थान पर विद्युत कनेक्शन मांगा जा रहा है उक्त परिसर का भौतिक सत्यापन कर जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया था उक्त संबंध में लेख है कि परिसर क्रमांक 582 एम जी रोड स्थित हेरिटेज बिल्डिंग एक बहु उपभोक्ता गैर घरेलू मल्टी है जिसके Upper Ground Floor शॉप क्रमांक 16 स्थित है जो कि स्वतंत्र इकाई है । (भौतिक सत्यापन के अनुसार हैरिटेज बिल्डिंग का मेप एवं विद्युत कनेक्शन की जानकारी परिशिष्ट 17 से 18 संलग्न है ।)

04. बिंदु क्रमांक 2 में वर्णित मनोरमागंज झोन कार्यालय द्वारा आवेदक को प्रेषित पत्र में वर्णित बकाया राशि का विवरण जिसमें पंचनामा क्रमांक 2950*15 दिनांक 14.10.2019 से संबंधित दस्तावेज (परिशिष्ट 19 से 25 एवं स्थाई रूप से विच्छेदित श्री अशोक कॉसलीवाल के बिल की प्रति परिशिष्ट 26 एवं दिनांक 12.01.21 को मीटर बंद पाए जाने पर पंचनामा क्रमांक 5431*14 से संबंधित दस्तावेज परिशिष्ट 27 से 35 में संलग्न है ।)

05. माननीय महोदय प्राप्त जानकारी के अनुसार पंचनामा क्रमांक 5431*14 दिनांक 12.01.21 को बनाया गया है, उक्त विद्युत कनेक्शन स्व. श्री हीरालाल कल्याणमल (N3373005537) के नाम से है जिससे बोरिंग की मोटर चलायी जाती है एवं जिसका उपयोग हैरिटेज बिल्डिंग 582 एम जी रोड (गैर घरेलू बिल्डिंग) एवं कल्याण भवन 582 एम जी रोड (घरेलू बिल्डिंग) दोनों में ही किया जाता है, चूंकि कल्याण भवन 582 एम जी रोड में आवेदक भी निवासरत हैं अतः निर्धारण राशि के भुगतान की जिम्मेंदारी आवेदक की भी है ।

06. कल्याण भवन में कुल 10 विद्युत कनेक्शन है जिसका भौतिक सत्यापन के अनुसार मेप एवं विद्युत कनेक्शनों की जानकारी परिशिष्ट 36 से 37 में संलग्न है ।

07. प्रकरण से संबंधित जानकारी आवश्यक जानकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत है ।

04. सुनवाई के दौरान आवेदक ने निम्नानुसार कथन किए :–

01. मेरी दुकान क्रमांक – 16, हैरिटेज बिल्डिंग 582, महात्मा गांधी मार्ग, इन्दौर पृथक परिसर है, जिसमें किसी प्रकार की कोई बकाया राशि नहीं है ।

02. अनावेदक ने परिसर में पानी के पंप कनेक्शन पर जो बकाया राशि निकाली है उस समय मेरे द्वारा जानकारी चाही गई थी, किन्तु मुझे प्रदाय नहीं की गई ।

03. उक्त पानी के पम्प की बिलिंग राशि रू0 13,59,230/– गलत है, जिसमें सुधार किया जाना चाहिए ।

सुनवाई के दौरान अनावेदक के कथन :–

01. अनावेदक ने अपने कथन में प्लाट नं0 582, एम.जी. रोड़ पर दो परिसर निर्मित हैं, जिसमें एक व्यावसायिक एवं दूसरा रहवासी (घरेलू) परिसर है, जिसे कई यूनिट में विभक्त किया है ।
02. माननीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम इन्दौर एवं उज्जैन द्वारा निर्देशानुसार दुकान क्रमांक – 16 का बिल सुधार कर आवेदक को दिया जा चुका है, जिसका उनके द्वारा भुगतान कर दिया गया है ।

    परिसर में अन्य बकाया राशि :–

    अ. श्री अशोक कुमार कॉसलीवाल, दुकान क्रमांक – 103, हैरिटेज बिल्डिंग 582, महात्मा गांधी मार्ग, इन्दौर राशि 15,235/–

    ब. ग्राउण्ड फ्लोर – 4 हैरिटेज बिल्डिंग 582, महात्मा गांधी मार्ग, इन्दौर विद्युत पंचनामा क्रमांक 2950/15 दिनांक 14.10.2020 – बकाया राशि रू0 64,373/– ।

    स. पानी के पंप का मीटर खराब होने के कारण नए मीटर की खपत के आधार पर की गई बिलिंग राशि रू0 13,59,230/–

इस प्रकार प्लाट नं. 582 पर कुल बकाया राशि रू0 14,38,838/– है । जो भुगतान योग्य है एवं इस राशि के लिए आवेदक श्री दीपक कॉसलीवाल भी जवाबदेह हैं ।

आवेदक श्री दीपक कॉसलीवाल का यह कहना कि मेरे उपर कोई राशि बकाया नहीं है गलत है, क्योंकि पानी का पंप जो कि प्लाट क्रमांक 582, महात्मा गांधी मार्ग, इन्दौर में निर्मित घरेलू आवासों/दुकानों के रहवासियों द्वारा उपयोग किया जाता था । यह सभी इस राशि का भुगतान करने के लिए जवाबदेह है । श्री दीपक कॉसलीवाल भी उसी परिसर में रहते हैं, अतः वे भी उक्त राशि के भुगतान हेतु जवाबदेह है। उक्त पंप का कनेक्शन श्री हीरालाल कल्याणमल के नाम से है जो कि श्री दीपक कॉसलीवाल के वृद्ध प्रपितामह (परदादा) है ।

हैरिटेज बिल्डिंग के व्यावसायिक एवं घरेलू परिसर के मालिक आवेदक श्री दीपक कॉसलीवाल, उनके पिता एवं उनके भाईबंधु/परिवार के सदस्य हैं ।

उभयपक्षों को पूर्ण संतुष्टि तक सुना एवं दस्तावेज/तथ्य/कथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया । उभयपक्षों द्वारा बताया गया कि इसके अतिरिक्त प्रकरण में आगे कोई और कथन नहीं किया जाना है न ही कोई अतिरिक्त दस्तावेज/जानकारी प्रस्तुत की जानी है, अतः प्रकरण में सुनवाई समाप्त करते हुए प्रकरण आदेश हेतु सुरक्षित किया गया ।

05. उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत कथनों/साक्ष्यों का स्थापित विधि के नियमों/विनियमों के प्रकाश में विवेचना से निम्न तथ्य प्राप्त होते हैं :–

5.1 582 एम जी रोड, इन्दौर पर दो बिल्डिंग निर्मित है जिसमें हेरिटेज बिल्डिंग में कई दुकानें निर्मित हैं एवं कल्याण भवन में कई घरेलू उपयोग हेतु प्रकोष्ठ बने हैं ।

5.2 व्यावसायिक बिल्डिंग हेरिटेज के Upper Ground Floor पर शॉप क्रमांक 16 (स्वतंत्र इकाई) वर्तमान में (प्रस्तुत कथन एवं दस्तावेजों के आधार पर) श्री दीपक कॉसलीवाल के स्वामित्व में लीज के माध्यम से है ।

5.3 दोनों बिल्डिंग के अधिकतर प्रकोष्ठ श्री दीपक कॉसलीवाल के परिवार के सदस्यों जिसमें उनके पिताजी एवं भाई शामिल हैं के स्वामित्व में है एवं उन्हीं के द्वारा निर्माण करवाया गया है ।

5.4 आवेदक ने माननीय उच्च न्यायालय इंदौर के समक्ष दायर WP(I) – 7308/2015 दायर की थी, जिसमें उनकी दुकान क्रमांक – 16 के कनेक्शन क्रमांक 93–02–6705814000 के कट जाने के उपरांत भी मिनिमम चार्ज एवं फिक्स चार्ज की बिलिंग कर आर आर सी के तहत वसूली की कार्यवाही पर आपत्ति लगाई थी ।

5.5 माननीय उच्च न्यायालय ने आर.आर.सी. पर रोक लगाते हुए alternative remedy, शिकायत निवारण फोरम इंदौर–उज्जैन क्षेत्र को सुनवाई कर निराकृत करने हेतु निर्देशित करते हुए 05.11.2015 को आदेश पारित किया था ।

5.6 विद्युत शिकायत निवारण फोरम इंदौर–उज्जैन क्षेत्र ने प्रकरण क्रमांक W0319315 पर पंजीकृत कर उभयपक्षों से सुनवाई कर दिनांक 12.01.2016 को निराकृत किया ।

5.7 फोरम ने निर्णय में यह निर्देश दिया है कि उक्त कनेक्शन को प्रथम विच्छेदन की दिनांक से 60 + 15 दिन पश्चात् स्थाई रूप से विच्छेदित माना जावे एवं तद्नुसार पुनरीक्षित अंतिम बिल जारी किया जावे । परिवादी द्वारा भुगतान करने के पश्चात् यदि परिवादी नए कनेक्शन हेतु आवेदन करता है तो नियमानुसार मांगे गए भार हेतु नया कनेक्शन देने की कार्यवाही की जावे।

5.8 अपीलार्थी ने अंतिम बिल की राशि रू. 8824/– दिनांक 24.11.2016 को जमा कर दी है, अतः दुकान नं. 16 पर कोई बकाया राशि नहीं है ।

5.9 अपीलार्थी ने दिनांक 16.02.2022 को नवीन कनेक्शन हेतु आवेदन किया है किन्तु विभाग ने दिनांक 25.03.2022 को आवेदन निरस्त कर दिया, जिसका कारण ''परिसर पर पुराना एरियर है'' बताया गया है ।

5.10 अनावेदक ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 09.06.2022 (प्रस्तुत 10.06.2022) में निम्नानुसार बकाया राशि बतायी है ।

परिसर में अन्य बकाया राशि :–

अ. श्री अशोक कुमार कॉसलीवाल, 64373/– भार वृद्धि Ground Floor 4 (Connection No. 1330024000).

ब. श्री अशोक कुमार कॉसलीवाल, शॉप नं0 103 (Connection No. N3373005819) 15235/- PDC

स. श्री हीरालाल कल्याण मल (Connection No. N3373005573) प्लाट नं. 582 हेरीटेज बिल्डिंग के पीछे बिलिंग राशि रू0 13,59,230/– (Water Pump Meter, stop/defective)

अतः कुल बकाया राशि रू0 14,38,838/– ।

5.11 यह ज्ञात होता है कि उपरोक्त वाटर पंप कनेक्शन जिस पर मीटर बंद/खराब होने के कारण बिल राशि 13,59,230/– निकाली गई है एवं बकाया है । इस कनेक्शन से पानी घरेलु परिसर की बिल्डिंग में प्रदाय किया जाता है जिसमें 10 कनेक्शन प्रदाय किए गए हैं एवं समस्त रहवासियों द्वारा उपयोग किया जाता है, इसके साथ ही व्यावसायिक बिल्डिंग के परिसरों में भी उपयोग किया जाता है, जिसमें अपीलार्थी भी शामिल है । उक्त कनेक्शन श्री हीरालाल कल्याण मल के नाम से है जो अपीलार्थी के वृद्ध प्रपितामह (परदादा) हैं ।

5.12 आवेदक ने यह भी बताया कि रहवासी इस बिल से संतुष्ट नहीं हैं ।

5.13 इससे स्पष्ट है कि पानी के पंप की बकाया राशि के भुगतान के लिए अपीलार्थी सहित सभी रहवासी/दुकान मालिक जिम्मेंदार हैं ।

06. प्रकरण में प्रस्तुत आवेदन दस्तावेज एवं अपीलार्थी/अनावेदक के कथनों से निम्नानुसार निष्कर्ष प्राप्त होता है ।

6.1 अपीलार्थी की दुकान क्रमांक – 16 हेरिटेज बिल्डिंग के Upper Ground Floor पर स्वतंत्र इकाई है जो लीज के माध्यम से अपीलार्थी के नाम पर लीज पर है एवं उस पर वर्तमान में कोई बकाया राशि नहीं है, अतः नवीन कनेक्शन दिया जा सकता है ।

6.2 अन्य परिसर दुकान ग्राउण्ड फ्लोर 4 नम्बर एवं दुकान नम्बर 103 की बकाया राशि की वसूली उनके कनेक्शन धारक श्री अशोक कुमार कॉसलीवाल से नियमानुसार की जाना चाहिए ।

6.3 घरेलू परिसर कल्याण भवन जिसका कनेक्शन श्री हीरालाल कल्याण मल के नाम से है एवं इस कनेक्शन से बिल्डिंग के रहवासियों/व्यवसायिक परिसरों को पानी की सप्लाई की जाती है, जिस पर बकाया बिल रू0 13,59,230/– है के भुगतान के लिए अपीलार्थी सहित सभी रहवासी/व्यवसायी जवाबदार हैं, जिसकी वसूली उनसे नियमानुसार की जानी चाहिए।

6.4 आवेदक ने कनेक्शन हेतु दिनांक 08.03.2022 को मनोरमागंज जोन कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया किन्तु हैरिटेज बिल्डिंग 582, महात्मा गांधी मार्ग, इन्दौर में स्थित अन्य कनेक्शनों पर बकाया राशि होने पर कनेक्शन देने से मना कर दिया था, जिससे दुखी होकर यह अपील आवेदक द्वारा प्रस्तुत की है जिसमें कनेक्शन दिलवाने के साथ ही साथ हुई आर्थिक क्षति रू0 1,98,000/– दिलवाने के लिए भी अनुरोध किया है जो कि माननीय उच्च न्यायालय एवं विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम इन्दौर एवं उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत वाद पत्र का भाग नहीं है, अतः उक्त आर्थिक क्षति की मांग अग्राह्य करते हुए निरस्त किए जाने योग्य है ।

07. प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत कथनों/तर्कों/साक्ष्यों एवं माननीय न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों की प्रचलित नियमों/विनियमों के प्रकाश में की गई उपरोक्त विवेचना तथा प्राप्त तथ्यों/निष्कर्षों के आधार पर निम्नानुसार निर्णय पारित किया जाता है :–

i) अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है ।

ii) अनावेदक को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी की दुकान बिल्डिंग हेरिटेज के Upper Ground Floor पर शॉप क्रमांक 16 में औपचारिकताएं पूर्ण करने पर तत्काल नवीन विद्युत कनेक्शन प्रदाय करें ।

iii) अन्य 2 कनेक्शन Ground Floor – 4 एवं शॉप नम्बर 103 की बकाया राशि की वसूली श्री अशोक कुमार कॉसलीवाल से नियमानुसार कार्यवाही कर करें ।

iv) पानी के पम्प के कनेक्शन के बिल के संबंध में अनावेदक, आवेदक की आपत्ति को सुनकर नियमानुसार निराकृत करें एवं वसूली योग्य राशि कल्याण बिल्डिंग तथा व्यवसायिक परिसर के कनेक्शनधारी उपयोगकर्ताओं से वसूल करें ।

v) आर्थिक क्षति रू0 1,98,000/– दिलवाने के लिए भी अनुरोध किया है जो कि माननीय उच्च न्यायालय एवं विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम इन्दौर एवं उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत वाद पत्र का भाग नहीं है, अतः उक्त आर्थिक क्षति की मांग अग्राह्य होने के कारण निरस्त की जाती है ।

vi) आवेदक के साथ ही परिसर के सभी रहवासी/धारकों को निर्देशित है कि वे आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर कनेक्शन अपने–अपने नाम पर करावें ।

08. उक्त निर्णय के साथ आवेदक की अपील निर्णित कर प्रकरण समाप्त किया जाता है । उभयपक्ष प्रकरण में हुआ अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे ।

09. आदेश की निशुल्क प्रति के साथ उभयपक्ष पृथक रूप से सूचित हों और आदेश की निशुल्क प्रति के साथ फोरम का मूल अभिलेख वापिस हो ।

विद्युत लोकपाल